RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक ११] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६/आश्विन २८-कार्तिक ४, शके १९३८ [पृष्ठे ४८

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, सन् २०१४.— अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०१४.—स्पाइसर अडवेंटिस विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ . .	२०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०१४.—महाराष्ट्र पुलिस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	३८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०१४.—महाराष्ट्र सिरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१४.	४०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१४.—महाराष्ट्र कृषि नाशकजीव तथा रोग (संशोधन) अधिनियम, २०१४.	४१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१४.—महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन तथा जारी रहना) अधिनियम, २०१४	४३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०१४.—महाराष्ट्र होमोपैथिक व्यवसायी और महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, २०१४	४५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१४.—महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	४७

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2014.

THE AMITY UNIVERSITY ACT 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2014.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF AMITY UNIVERSITY IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR HIGHER EDUCATION AND TO REGULATE IT'S FUNCTIONING AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २४ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

उच्चतर शिक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य में अमिटी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन तथा विनियमन के लिए तथा उसके कार्य को विनियमित करने तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, महाराष्ट्र राज्य में अमिटी विश्वविद्यालय के नाम से स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन तथा विनियमन का उपबंध करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) " प्रबंधन बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित प्रबंधन बोर्ड से है ;

(दोन) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(तीन) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्हीं दो या अधिक साधनों के समुच्चय, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली - विज्ञान द्वारा विहित की गई शिक्षा से है ;

(चार) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा पदाभिहित किन्हीं व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का समावेश है ;

(पाँच) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या अभ्यास केंद्रों, द्वारा किया गया यथास्थिति छात्रों से किया गया धनीय संग्रहण है, जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो प्रतिदत्त नहीं है ;

(छह) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(सात) " शासकीय निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित शासकीय निकाय से है ;

(आठ) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, शालेय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का पीछा करने से है ;

(नौ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अभ्यास केंद्रों से है ;

(दस) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ग्यारह) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(बारह) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या अध्यादेशों या यथास्थिति विनियमों द्वारा विहित से है ;

(तेरह) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संस्थित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(चौदह) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

१८६० का २१।

(पंद्रह) " प्रायोजित निकाय " का तात्पर्य, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन न्यास के रुप में रजिस्ट्रीकृत रितनन्द बलवेद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली से है ;

(सोलह) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(सत्रह) " परिनियम ", " आर्डिनन्स " तथा " विनियम " का तात्पर्य क्रमशः इस अधिनियम के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सेस तथा विनियमों से है ;

(अठारह) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम पाने के लिए प्रवेश लिया हो, इसमे अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित है ;

(उन्नीस) " अभ्यास केंद्र " का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षण के संदर्भ में छात्रों द्वारा आवश्यक अन्य कोई सहायता देने के लिए संस्थित तथा पोषित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है ;

(बीस) " अध्यापक " का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या अन्य किसी व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए शिक्षण देने या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या छात्रों को किसी भी प्ररुप में मार्गदर्शन देने के लिए रखा गया है ;

(इक्कीस) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य अमिटी विश्वविद्यालय पनवेल से है ;

निगमन।

३. (१) अमिटी विश्वविद्यालय पनवेल के नाम से विश्वविद्यालय संस्थित किया जाएगा।

(२) सभापति, कुलाधिपति, शासकीय निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे वे ऐसे पद या सदस्यत्व को निरंतर धारण करेंगे, एतदद्वारा "अमिटी विश्वविद्यालय " के नाम से निकाय निगम गठित करते हैं।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उन पर वाद चलाया जाएगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन संस्थित विश्वविद्यालय असहबद्ध विश्वविद्यालय के रुप में कार्य करेगी और यह किसी अन्य महाविदयालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगी।

(५) विश्वविद्यालय भातान (ग्राम), पनवेल, महाराष्ट्र यहाँ स्थित होगी और उसके मुख्यालय होंगे।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में सम्मिलित होंगे,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान तथा विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक अनुशासनों, जैसे कि इंजिनिअरिंग, तकनीकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यम, सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनके आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध कराना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध कराना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अवकाश प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध कराना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण तथा अभिनियोजन करना जिससे रचनात्मकता, नवीनता तथा ठेकेदारी अभिवृद्ध हो।

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ स्थापित करना।

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास, में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रो का निर्माण करना ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकसन तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वीं सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति का निर्माण करना।

(त्र) औद्योगिक तथा सार्वजनिक संगठनों तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना।

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोनों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम शुरू करना।

(ठ) भारत और विदेश में अन्य उच्चतर शिक्षा तथा असुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी स्थापित करना।

(ड) परिक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना।

(ढ़) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन, पद्धतियों का ढ़ाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता के सृजन लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों को स्थापित करना।

(ण) जैसे कि सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का मान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन संस्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद अन्य या यथास्थिति कानूनी निकाय, द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

शक्तियाँ और कार्य।

५. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के बाबत, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यावत कराना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, बक्षीस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों तथा परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध कराना ;

(पाँच) निवेश की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) जैसा विहित किया जाए सम्मानिक उपाधियों को संस्थित तथा प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति संस्थित तथा प्रदान करना ;

(नौ) शैक्षणिक रूप से समाज के पिछड़े स्तर में शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा अभिवृद्ध करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्ति करना ;

(बारह) पारस्परिक प्रतिग्राह्य शर्ते और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सेस, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षकों छात्रों तथा कर्मचारियों के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा अभिवृद्ध करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार व्यतिकारी आधार पर, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियों, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न अनुशासनों में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, विकेंद्रो, विस्तारित परिसर तथा अध्ययन केंद्रो की स्थापना करना ;

(उन्नीस) संदान, दान, अनुदान, प्राप्त करना तथा कोई जंगम या स्थावर, संपत्ति जिसमें महाराष्ट्र के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा विश्वविद्यालय जैसा कि उचित समझे ऐसे रीत्या में नीधि विनिहित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे फिसों तथा अन्य प्रभारों के भुगतान की माँग तथा प्राप्ति करना ;

(बाईस) अन्य संस्थाओं के साथ शर्तों और निबंधनों के पारस्परिक प्रतिग्रहण पर सहयोग रखना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के संबंध में विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) निवेश प्राकार बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का संगठन करना और जिम्मा उठाना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपोषित हॉल और छात्रावासों तथा अन्य वास-सुविधाओं को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसे कि आवश्यक समझा जाए ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय लेना ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्तजाम करना ;

(उनतीस) देश के भीतर या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढावा देने की दृष्टि से जैसी करार पायी जाए, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किया जाए समय-समय से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) अनुषंगिक या सहायक, ऐसे सभी आवश्यक समझे जाने वाले कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति करें ;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय की उपरोक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों का, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैंतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना तथा अनुरक्षण) विनियमों, २००३ या अन्य कोई विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निदेशकों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, मूलवेश पन्थ, वर्ग जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनितिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ती से या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेषयोग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, तथा संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय समय पर जारी किए गए आदेशों का अंगीकार करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के विषय में राज्य सरकार की साधारण नीति का अंगीकार करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहयोग पाने का हकदार नहीं होगा ।

विन्यास निधि।

८. प्रायोजित निकाय विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड रुपये रकम के साथ एक स्थायी कानूनी विन्यास निधि संस्थित करेगा, जो अपनी स्वप्रेरणा से बढ़ा सकेगा किंतू कम नहीं कर सकेगा ।

(२) इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्सेस के तद्धीन बनाये गये उपबंधों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि सुरक्षा अनामत के तौर पर रखी जाएगी ।

(३) सरकार को इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सेस, या तद्धीन बनाये गये विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन पर विश्वविद्यालय या प्रायोजिक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशत: या संपूर्ण भाग विहितरित्या समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(४) विन्यास निधि से आय विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उपयोग में लायी जाएगी किंतु विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लायी जाएगी ।

(५) विन्यास निधि की राशि जब तक विश्वविद्यालय की समाप्ति हो, विनिहित रखी जाएगी, तब तक सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अधीन कि, यह निधि सरकार की अनुमति के बिना नहीं निकाली जाएगी ।

(६) दिर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र सरकार की, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए जमा राशि नगद पाने का अधिकार होगा ।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, एक निधि भी स्थापित करेगी, जिसे साधारण निधि के नाम से पुकारा जाएगा जिसमें निम्न जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीसों तथा अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) परामर्श तथा विश्वविद्यालय द्वारा जिम्मा लिये गये अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, संदान, विन्यासो, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि ।

सामान्य निधि की प्रयुक्ति।

१०. (१) विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय चुकाने के लिए सामान्य निधि का उपयोग किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य लेखा तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष। **१२.** (१) अध्यक्ष ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए उत्तरदायी निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता और निकष राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(३) अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को निम्न शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसार कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

कुलाधिपति को हटाना। **१३.** अध्यक्ष को प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) उन्मत्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रुप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिक बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करना जानबूझकर छोड़ देता है या नामंजूर करता है या सेवा संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों कों या परिनियमों द्वारा अधिकधित किन्हीं शर्तों को उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि अध्यक्ष का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकाराक होता है।

परन्तु, अध्यक्ष को उसके उक्त पद से हटाने के लिए खंड (घ) और (ङ) का आश्रय लेने के पूर्व, प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति। **१४.** (१) कुलपति शासी निकाय द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद व्यक्ति अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा. तथापि, किसी भी दशा में यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(३) कुलपति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है ; सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्सेस, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण निर्णय के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा और प्राधिकारी निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।

(७) यदि किसी समय, किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से उसमें लिखित आदेश द्वारा कारण दर्शाते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) संकायाध्यक्ष परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और कुलाधिपति और कुलपति द्वारा सौंपे गए या विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन उसे करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य-सचिव होगा परन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पति का अभिरक्षक होगा जैसा उसके भारसाधन में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। वह विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किए जाए ऐसे होंगे।

(३) परीक्षा नियंत्रक, निम्न के लिए जिम्मेदार होगा,—

(क) परीक्षा कलैंडर अग्रिम में तैयार करना और घोषित करना;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों के समय में प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मेदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों को समय-समय से पुनर्विलोकन और अकादमिक परिषद को उस पर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा;

(च) नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या में नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारियों।

१९. (१) विश्वविद्यालय उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझा जाए ऐसे अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(एक) शासी निकाय ;

(दो) प्रबंधमंडल बोर्ड ;

(तीन) अकादमिक परिषद ;

(चार) परीक्षा बोर्ड; और

(पाँच) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्तियों जिनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे ; अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(च) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार जो शासी निकाय का मतदान न करनेवाला आमंत्रित होगा।

(२) शासी निकाय विश्वविद्यालय का उच्चतम प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्सेस, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण उपबंधित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधो या परिनियमों, आर्डिनेन्सेस, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों की समनुरुपता नहीं है के मामले में विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सूचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्ति।

(२) कुलपति प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंध बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंध बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय के अकादमिक निकाय का प्रधान होगा, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्सेस के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड को परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाएँ लेने और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रो या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव ;
(ग) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और निबंधन ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का संयोजन, गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ ।

निरर्हता।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के अधिनियम या कार्यवाहियाँ किसी रिक्ति के केवल कारण द्वारा या उसके गठन में त्रुटि से अविधिमान्य नहीं होगी ।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया है और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रुप में पद धारण करेगा ।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों तथा अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे ।

(२) ऐसी समितियों के संगठन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

पहला परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए विश्वविद्यालय का पहला परिनियम मुहैया कराएँगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के संगठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय से गठित रीत्या होंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों ;

(च) कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(छ) सम्मानिक उपाधियों की पुष्टि ;

(ज) विद्यार्थियों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने के संबंध में तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपबंध ;

(झ) आरक्षित सीटों के विनियमन के साथ प्रवेशों की नीति के संबंध में उपबंध ;

(ञ) विद्यार्थियों से भारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध ; और

(ट) विभिन्न पाठ्यचर्याओं में सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पहले परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर उस पर उसे अनुमोदन देगी ।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा पहला परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद ऐसे प्रकाशन के दिनांक से पहला परिनियम प्रवृत्त होगा ।

पश्चात्वर्ती परिनियम ।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए मुहैया कराएगी, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों की प्रथा शुरू करना ;

(च) पदों के उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ;

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले हैं ।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम से अन्य परिनियम शासकीय निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा ।

(३) प्रबंध बोर्ड समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी गठन या प्रतिष्ठा, शक्तियों पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम या परिनियम के संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसे प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त होगी तथा शासकीय निकाय द्वारा विचार किया जाएगा ।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण का स्तरमान, शिक्षण तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे ।

प्रथम ऑर्डिनेन्स ।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियम या परिनियम के अध्यधीन विश्वविद्यालय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा ऐसे उनके नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित अध्ययन की पाठ्यचर्या ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशेष योग्यताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित अर्थ वही होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) पदों की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षक तथा अनुसीमक समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सेस द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है ।

पश्चात्वर्ती अध्यादेश ।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) अकादमिक परिषद या तो शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों

के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के टिप्पणी का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे ।

विनियमन ।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम, नियमों तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियमन बनाएँगे ।

प्रवेश ।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश बनाए गए कडे गुणागुण आधार पर होंगे ।

(२) विश्वविद्याल में प्रवेश के लिए या तो गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए गुण या श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा समान पाठ्यक्रमों या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायेंगे :

परंतु वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे ।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग विद्यार्थियों से संबंध रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखे जाएँगे ।

परंतु किसी मामले में कुल आरक्षण ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए ७० प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखी जायेगी।

फीस संरचना ।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय से अपनी फीस संरचना तैयार करेगी और उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी ।

(२) सरकार विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लेखित समिति के लिए अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होगा । समिति के लिए अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश से होगा ।

(४) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और विचार में लेने के पश्चात् उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी चाहे प्रस्तावित फीस :–

(क) के लिए पर्याप्त–

(१) विश्वविद्यालय के उत्पादन के आवर्ती व्यय के लिए बैठक ; और

(२) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और

(ख) अनुचित रूप से अत्याधिक नहीं ;

(५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद, यदि सरकार का समाधान हो जाता है, वह फीस संरचना को अनुमोदन देगी । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना की विधिमान्यता अगले पुनरीक्षण तक शेष रहेगी ।

(६) राज्य सरकार, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी और कोई आर्थिक दायित्व नहीं लेगी ।

(७) विश्वविद्यालय, किसी फीस का प्रभार नहीं करेगी चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाए से अन्य जिसके लिए उप-धारा (५) के अधीन वह हकदार है ।

प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि ।

३७. (१) स्पायसर अड़वेन्टिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा या की ओर से कोई प्रतिव्यक्ति फी संग्रहीत नहीं की जाएगी या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जो व्यक्ति प्रभारी है या जिम्मेदार है किसी विद्यार्थी के प्रवेश के संबंध में या से विचार करेगा और किसी अध्ययन की पाठ्यचर्या का अभियोजन करेगा या ऐसी संस्था में उच्च दर्जा मानक या श्रेणी की उसकी प्रोन्नति करेगा । महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि) अधिनियम, १९८७ द्वारा जैसा उपबंधित है कि प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहण निषिद्ध है।

सन् १९८८ का महा. ६।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रबंधन रोक़ड़ या किस्म में विहितरीत्या विन्यास व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सद्भाव में संदान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन ऐसे संदान संग्रहित या स्वीकारते समय, प्रबंधन ऐसे संदान के विचार में उसने द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्थागत संस्थान में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी ।

जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी विद्यार्थी के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो संदान के ऐसे प्रतिग्रहण प्रतिव्यक्ति फीस के समझे जाएँगे ।

परीक्षाएँ ।

३८. प्रत्येक अकादमिक वर्ष के शुरुआत में और किसी मामले में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय जैसा कि मामला हो, उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यचर्या के लिए सत्र भाँति या वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसी समय-सारणी का सख्त पालन होगा ।

स्पष्टीकरण.—परीक्षाओं की समय-सारणी का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर के समय, दिन और तारीख के प्रारंभण संबंधी ब्योरा देनेवाली तालिका से है जो कि परीक्षाओं की योजना का एक भाग है और उसमें प्रायोगिक परीक्षाओं के ब्यौरे समाविष्ट होंगे :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसारण करने में असमर्थ है तो वह यथासाध्य शीघ्रता से सरकार को प्रकाशित परीक्षा-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार उस पर भविष्य में सुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे निदेश जारी करेगी ।

परिणामों की घोषणा।

३९. विश्वविद्यालय विशिष्ट पाठ्यचर्या के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का प्रयास परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर घोषित करेगी ।

परंतु कि, जिस किसी भी कारण के लिए विश्वविद्यालय किसी परीक्षा के परिणाम पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमत: घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार, उस पर भविष्य में सूपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, निदेश जारी करेगी ।

(दो) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय में धारा ३८ तथा इस धारा में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया गया है, सिर्फ इसी कारणों के लिए अविधिमान्य नहीं होगी ।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या प्रत्येक अकादमिक वर्ष में किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (एनएएसी/नॅक), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा नॅक द्वारा विश्वविद्यालय को उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अन्य विनियमित निकायों को जानकारी दें। विश्वविद्यालय तत्पश्चात् ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है ।

विश्वविद्यालय ने विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करना।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुपालन करने आबद्ध होगी तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन तथा उनके कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा ऐसे निकायों को यथा अपेक्षित है ऐसी सभी सुविधाएँ और सहायता का उपबंध करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (एक) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी जिसमे अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(दो) उप-धारा (१) के अधीन निर्मित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(तीन) राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्ट रखी जाने के लिए व्यवस्था करेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा।

४४. (१) प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा समेत तुलनपत्र तैयार किए जाएँगे और इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझें ऐसे निर्देश जारी करेगी और उसका अनुपालन, सरकार को प्रस्तुत ज्ञापित करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा की विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप संबंध में उसकी शिफारिश विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय, सिफारशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि, विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझें ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

४६. (१) प्रायोजक निकाय सरकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष कों इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्यक्रमों की अंतिम बॅचेस के छात्रों ने उनका पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और उन्हें उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किए गए है केवल इसके पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजित निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजित निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या स्पायसर ॲडव्हिनीस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह, अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया न जाये।

(२) यदि, सरकारका, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंन्धों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या स्पायसर ॲडव्हिनीस्टी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा ५ की उप-धारा के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की अपेक्षित खोज का निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना ; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) इस अधिनियम के अधीन जाँच अधिकारी या अधिकारियों की जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझी जाएगी।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्सेस का उल्लंघन किया है या अमिटी विश्वविद्यालय, अधिनियम, २०१४ की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किए गए उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों संकर से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश जारी करेगी। २०१४ का महा. १३।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड के सभी कृत्यों के अध्यधीन होगा और तब तक विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर लेती है और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है ।

(८) उपाधियाँ, डिप्लोमाँ या, यथास्थिति पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासन इस प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देगी ।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी अस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होंगी ।

नियम बनाने की शक्ति।

४८. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(२) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जाने वाले मामले ; और

(ख) कोई अन्य मामला, जिसे इस अधिनियम के नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से कम न हो अवधि के लिए चाहे वह एक सत्र या बाद के दो सत्रों को मिलाकर हो, रखा जायेगा, और यदि सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ति सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधानमंडल ऐसे नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते है कि नियम नहीं बनाया जाए, ऐसा नियम ऐसे उपांतरण प्ररूप में केवल प्रभावी होगा या, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगा तथापि, किसी ऐसा उपांतरण या बातीलीकरण तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

४९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा ।

विनियामक बोर्ड ।

५०. विनियामक बोर्ड, विनियामक यंत्रणा मुहैया करने के प्रयोजन के लिये और छात्रों का हित संरक्षण, अध्यापन के समुचित मानक, परीक्षा, अनुसंधान, कार्यक्रम विस्तार और विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों की यथोचित सेवा शर्तें बनाई रखी गई है की सुनिश्चिति के प्रयोजन के लिए विहित किया जाए ऐसे रीत्या राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जायेगा ।

सचिवालय समिति।

५१. प्रायोजक निकाय द्वारा उपबंधित उपक्रमों और शासकीय संकल्प क्रमांक : यूएसजी-२००६/ (२५४/ २००६)/ यूएनआय-४, दिनांकित २९ मई २०१३ के अनुसार, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय के लिए मार्गदर्शन के अनुपालन की जाँच और कार्यो की पूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश में सचिवालय समिति होगी। राज्य सरकार, तब अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसके पश्चात् केवल विश्वविद्यालय का परिचालन होगा।

समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2014.

THE SPICER ADVENTIST UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2014.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF SPICER ADVENTIST UNIVERSITY IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR HIGHER EDUCATION AND TO REGULATE IT'S FUNCTIONING AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २४ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

उच्चतर शिक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय की स्थापना, सम्मिलन तथा विनियमन के लिए तथा उसके कार्य को विनियमित करने तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि, महाराष्ट्र राज्य में स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय के नाम से स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना, सम्मिलन तथा विनियमन का उपबंध करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ कहलाये ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएँ ।

२. इस, अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) " प्रबंधन बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित प्रबंधन बोर्ड से है ;

(दो) " परिसर " को तात्पर्य, विश्वविद्यालय का क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(तीन) " दूरस्थ शिक्षण " का तात्पर्य, संसूचना के किन्हीं दो या अधिक साधनों के समुच्चय, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली-विज्ञान द्वारा विहित किए गए शिक्षण से है ;

(चार) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किन्ही व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों का समावेश है ;

(पाँच) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या यथास्थिति अभ्यास केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से लिया गया है, जो प्रत्यपर्णीय नहीं है से है ;

(छह) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(सात) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित शासकीय निकाय से है ;

(आठ) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(नौ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अभ्यास केंद्रों से है ;

(दस) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ग्यारह) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(बारह) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाये गए परिनियमों या अध्यादेशों या, यथास्थिति विनियमों द्वारा विहित से है ;

(तेरह) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्तें अधिकथित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षण परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद आदि से है और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(चौदह) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

सन् १९५० का २४।

(पंद्रह) " प्रायोजित निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, के अधीन न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत अशलोक शिक्षण संस्था, पूने से है ;

(सोलह) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(सत्रह) " परिनियम ", " ऑर्डिनन्स ", तथा " विनियम " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(अठारह) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इससे है, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित है ;

(उन्नीस) " अभ्यास केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्ष के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षण के संदर्भ में छात्रों द्वारा आवश्यक अन्य किसी सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त केंद्र से है ;

(बीस) " अध्यापक " का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या अन्य किसी व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए शिक्षण देने या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या छात्रों को किसी भी प्ररुप में मार्गदर्शन देने के लिए रखा गया है से है ;

(इक्कीस) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय, पूने से है ;

निगमन ।

३. (१) स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय, पूने के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किया जायगा ।

(२) अध्यक्ष, कुलाधिपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड्, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, एतद्द्वारा, " स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय, पूने " के नाम से निकाय निगम गठित करते है।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उन पर वाद चलाया जाएगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय असहबदध् विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगी और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए असंबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय औंध रोड, गणेशखिंड, पोस्ट पूने, महाराष्ट्र में स्थित होगा और उसके मुख्यालय होंगे ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्न सम्मिलित होगे,—

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास जिसमें लिबरल आर्टस्, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिक, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक अनुशासनों, जैसे कि इंजिनिअरिंग, तकनीकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य अनुप्रयुक्त तथा रचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यम, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षण और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध कराना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध कराना कला, क्रिडा संस्कृति, फिल्म, अवकाश प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध कराना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाँथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मागों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजन करना जिससे रचनात्मकता, नवीनता तथा ठेकेदारी अभिवृद्ध होगी ;

(च) शिक्षण तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बांटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकसन तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) औद्योगिक तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोनों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम शुरू कराना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य कोई मूल्यांकन पदधतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन, पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतर मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिती के लिए रचनात्मकता तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोनों को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गये कोई अन्य उद्देश्य रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा, प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का मान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद या अन्य कानूनी निकाय, यथास्थिति द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना ।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

५. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात् :— शक्तियाँ और कार्य ।

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के बाबत, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यावत कराना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डो तथा परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रंके, समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध कराना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय कराना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियों, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित तथा प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा प्रदान करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रुप से पिछड़ें स्तर में से शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रिडा तथा अन्य पाठ्ये तर क्रियाकलापो को बढ़ावा देना तथा अभिवृद्ध करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्ति करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्ते और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) अधिनियम के उपबंधों के संबंध में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा अभिवृद्धि करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियों डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर जारी किए गये निदेशकों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, तट-मुक्त परिसर तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस, अनुदान प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को, जंगम या स्थावर, जिसमें महाराष्ट्र के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा विश्वविद्यालय जैसा कि उचित समझे ऐसे रित्या में निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो, के भुगतान की माँग तथा प्राप्ति करना ;

(बाईस) अन्य संस्थाओं के साथ शर्तों और निबंधनों के पारस्परिक प्रतिग्रहण रखना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के संबंध में विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का संगठन करना और जिम्मा उठाना ;

(पच्चीस) सभा-भवन तथा छात्रावासों को स्थापित तथा घोषित करना ;

(छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपोषित सभा-भवन और छात्रावासों तथा अन्य वास-सुविधाओं को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा कि आवश्यक समझा जाये ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्तजाम करना ;

(उनतिस) देश के भीतर या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढावा देने की दृष्टि से ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्निर्माण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतिस) ऐसे सभी आवश्यक समझे जाने वाले कार्य करना अनुषंगिक या सहायक, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति करें ;

(बत्तिस) राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदशकों का, विश्वविद्यालय की उपरोल्लिखित शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैंतिस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य कोई विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निदेशकों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुगमन करना ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, मूलवंश, पंथ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनितिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों, या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेषयोग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए विवर्जित नहीं किया जाएगा ।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थांओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों खानाबदोश जनजातियो (विमुक्त जाति)/निरधिसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर निर्गमित आदेशों का अंगीकार करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों के विभिन्न संवर्गों तथा अल्पसंख्यांकों के कल्याण के संदर्भ में राज्य सरकार की साधारण नीति का अंगीकार करेगा ।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहयोग पाने का हकदार नहीं होगा ।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रुपये रकम के साथ एक स्थायी कानूनी विन्यास निधि संस्थित करेगी, जो स्व-प्रेरणा से बढ़ा सकेगा किंतु, कम नहीं कर सकेगा ।

(२) विन्यास निधि इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या आर्डिनन्सो के तद्धीन बनाये गये उपबंधों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा अनामत के तौर पर रखा जाएगा ।

(३) सरकार को इस अधिनियम के उपबंधो, नियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये आर्डिनन्सो या विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के विकसन के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।

(५) विन्यास निधि की राशी विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय की समाप्ती नहीं होती है, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अधीन कि यह निधि सरकार की अनुमति के बिना नहीं निकाली जाएगी ।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा ।

साधारण निधि ।

९. विश्वविद्यालय, एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि के नाम से पुकारा जाएगा जिसमे निम्न जमा किया जाएगा, अर्थात :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीसों तथा अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) परामर्श तथा विश्वविद्यालय द्वारा जिम्मा लिये गये अन्य कार्य से प्राप्त किन्हीं राशी ;

(चार) वसियतों, दान, विन्यासों तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशी ।

सामान्य निधि की प्रयुक्ति ।

१०. विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए सामान्य निधि का उपयोग किया जायेगा :

परंतु, उस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं के अधिक में व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य लेखा तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रुप में घोषित किया जाए ।

कुलाधिपति। **१२.** (१) कुलाधिपति ऐसी रीत्या में सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(२) कुलाधिपति के पद के लिए पात्रता और शर्तें राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।

(३) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(४) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों, और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(५) कुलाधिपति को निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसार कुलपति को हटाना।

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

कुलाधिपति को हटाना। **१३.** कुलाधिपति को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुमोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालीक बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या कुलाधिपति को पद पर बनाये रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, कुलाधिपति को उक्त पद से हटाने के लिए खंड (घ) और (ङ) गति लाने के उपाय करने से पूर्व, प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

कुलपति । **१४.** (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पॅनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अंतर्दिष्ट उपबंधों के अध्यधीन, तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, व्यक्ति अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के कुलपति का पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा तथापि, किसी भी अवस्था में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा ; और विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा ।

(३) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(४) यदि कुलाधिपति की राय में ऐसे किसी मामले में, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि, संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(५) यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा और प्राधिकारी निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सो द्वारा विहित किया जाए ।

(७) यदि, किसी समय, किये गये अभ्यावेदन पद या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्खित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो कुलाधिपति कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

संकायाध्यक्ष ।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रित्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा जो विनियमो द्वारा विहित किये जाये या कुलाधिपती और कुलपति द्वारा सौंपा जाये।

रजिस्ट्रार ।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रित्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा । विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन उसे करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी । वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा ।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा परन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा उसके भारसाधन में सूपुर्द करें ।

(५) रजिस्ट्रार, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा जैसा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए।

परीक्षा नियंत्रक ।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रित्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परिक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा । वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा । वह विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा । उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होगा । नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा ।

(३) परीक्षा नियंत्रक जिम्मेदार होगा,— निम्न हेतु

(क) परीक्षा कलैंडर अग्रिम में तैयार करना और घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों के समय में प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मेदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों के अनुसीमकों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषि पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों को समय-समय से पुनर्विलोकन और अकादमिक परिषद को उस पर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए ।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा अधिकारी होगा ।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट रित्या में और परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाये ।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीती और उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होगें जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंधमंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय ।

२१. (१) विश्वविद्यालय के शासी निकाय निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रयोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, पाँच व्यक्ति जिनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ; कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(च) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार जो, शासी निकाय का मतदान न करनेवाला आमंत्रिती होगा

(२) शासी निकाय विश्वविद्यालय का उच्चतम प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण उपबंधित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों की समरुपता नहीं है के मामले में विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुर्नर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय को बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वेच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सूचारु कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसे कि परिनिमों द्वारा विहित की जाए।

(४) शासी निकाय की कलेंन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठके होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड ।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्ति।

(२) कुलपति प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड प्रत्येक दो महिने में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद ।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा की विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय के अकादमिक निकाय का प्रधान होगा, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड ।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर–सेटरों, परिक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाएँ लेने और परिणांमों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला प्राधिकरण होगा। परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केंन्द्रों, या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों सें मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) कुलपति . . . अध्यक्ष ;

(ख) परीक्षा नियंत्रक . . . सदस्य सचिव ;

(ग) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक . . . सदस्य ;

(घ) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ . . . सदस्य।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और निबंधन ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का संयोजन, गठन, शक्तियाँ और कृत ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

निरर्हताए।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्रधिकरणों या निकायों का सदस्य होने निरर्हता होगा, यदि वह,–

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रुप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय रिक्तियाँ संबंधी कार्यवाहीयाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कृत्य या कार्यवाहियाँ किसी रिक्ति द्वारा या उसके गठन में त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. विश्वविद्यालय के किसी मामले में किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया है और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया है और अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अधिकारी ऐसे संदर्भो के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों के गठन, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसा होगा।

पहला परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम इस अधिनियम के उपबंधों, और तद्धीन बनाए गए नियमों, के अध्यधीन निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध करेगा, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारणों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य, समय-समय से गठित से होंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों, और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और शर्तो तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तो ;

(च) कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम के लिए प्रक्रिया ;

(छ) सम्मानिक उपाधियों की पुष्टी ;

(ज) विद्यार्थियों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने के संबंध में तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपबंध ;

(झ) आरक्षित स्थानों के विनियमन के साथ प्रवेश की नीति के संबंध में उपबंध ;

(ञ) विद्यार्थियों से भारित किए जाने वाले फीस के संबंध में उपबंध ; और

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पहले परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महिने के भीतर उस पर उसे अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा पहला परिनियम प्रकाशित करेगी, तत्पश्चात, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से पहला परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधो तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चातवर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगी, अर्थात :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकारणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तिय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कार संस्थित करना ;

(च) पदों के उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में पदों की संख्या का परिवर्तन ;

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन जो सभी अन्य मामले हैं।

(२) विश्वविद्यालय के पहले परिनियम से अन्य परिनियम शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रंबध बोर्ड द्वारा बनाये जाएँगें।

(३) प्रबंध बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी गठन या प्रतिष्ठा, शक्तियों पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम या परिनियम के संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण, प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त होगी तथा शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण का दर्जा, शिक्षण तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएँगे।

प्रथम ऑर्डिनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय प्रथम आर्डिनेन्स कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियम या परिनियम के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्स बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्स निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा ऐसे उनके नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित अध्ययन की पाठ्यचर्या ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशेष योग्यता प्रमाणपत्रों को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित अर्थ वही होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्ते ;

(ङ) पदों की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय परीक्षक तथा अनुसीमक के कर्तव्य, समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए है ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्स द्वारा मुहैया कराना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत पहले आर्डिनेन्स का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांकरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महिने के भीतर उस पर अनुमोदन देगी।

पश्चात्वर्ती आर्डिनेन्स।

३३. (१) प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स अकादमिक परिषद द्वारा बनाए जायेंगे प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) कार्यकारी परिषद, या तो शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्स उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्स लौटाएगी, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, अकादमिक परिषद की टिप्पणी का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदिन किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्स प्रवृत्त होंगे।

विनियमन।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम, तद्धीन बनाए गए नियमों ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश कड़े गुणागुण के आधार पर होंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर अवधारित किये जायेंगे ।

परंतु वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग विद्यार्थियों से संबंध रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीट्स राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी।

परंतु किसी मामले में कुल आरक्षण ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए ७० प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखी जायेगी।

फीस संरचना।

३६. (१) विश्वविद्यालय समय-समय से अपनी फीस संरचना तैयार करेगी और उद्देश के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी।

(२) सरकार, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लिखित समिति के लिए अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती होगा। समिति के लिए अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिफारीश से होगा।

(४) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और विचार में लेने के पश्चात् उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी चाहे प्रस्तावित फीस —

(क) के लिए पर्याप्त :—

(१) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का निर्माण करना ; और

(२) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और

(ख) अनुचित रूप से अत्याधिक नहीं

(५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन करेगी। सरकार द्वारा अनुमोदित फीस की विधिमान्यता अगले पुनरीक्षण तक शेष रहेगी।

(६) राज्य सरकार, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछडे वर्गो से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी और कोई आर्थिक दायित्त्व नहीं लेगी ।

(७) विश्वविद्यालय, किसी फीस का प्रभार नहीं करेगी चाहे किसी भी नाम से हो से अन्य की उसके लिए उप-धारा (५) के अधीन हकदार है।

प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि ।

३७. (१) स्पायसर एडवेन्टिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा या की ओर से कोई प्रतिव्यक्ति फी संग्रहीत नही की जाएगी या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जो व्यक्ति प्रभारी है या जिम्मेदार है किसी विद्यार्थी के प्रवेश के संबंध में या से विचार करेगा और किसी अध्ययन की पाठ्यचर्चा का अभियोजन करेगा या ऐसी संस्था में उच्च मानक दर्जा या श्रेणी की उसकी प्रोन्नति करेगा। महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ (प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहण प्रतिषेध) द्वारा उपबंधित अनुसार।

उप-धारा (१) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रबंधन रोकड़ या किस्म में विहित रीत्या विन्यास व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सद्‌भाव में संदान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन ऐसे संदान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंध ऐसे संदान के विचार में उसके द्वारा चालित किसी शैक्षणिक संस्थागत संस्थान में कोई सीटें आरक्षित नही रखेगी।

जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी विद्यार्थी के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो संदान के ऐसे प्रतिग्रहण प्रतिव्यक्ति फीस का संग्रहण समझे जाएँगे ।

परिक्षाएँ ।

३८. प्रत्येक अकादमिक वर्ष के शुरूआत में और किसी मामले में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय जैसा कि मामला हो, उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यचर्चा के लिए सत्र भाँति या वार्षिक परीक्षाओं की समयसारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का सख्त पालन होगा।

स्पष्टीकरण.—परीक्षाओं की समय-सारणी का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर के समय, दिन और तारीख के प्रारंभण संबंधी ब्यौरा देनेवाली तालिका से है जो कि परीक्षाओं की योजना का एक भाग है और उसमें प्रायोगिक परीक्षाओं के ब्यौरे समाविष्ट होंगे :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देकर रिपोर्ट प्रस्तृत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा।

३९. विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यचर्या के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का प्रयास परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगी।

परंतु कि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों से समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तृत करेगी। सरकार, उसपर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, निदेश जारी करेगी।

(दो) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय ने धारा ३५ तथा इस धारा में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है, सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नही होगी।

दिक्षांत समारोह।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमो द्वारा विहित रित्या में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन।

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों से संबंधीत अन्य विनियमित निकायों को नॅक द्वारा विश्वविद्यालय को उपबंधित श्रेणी की जानकारी देगा। विश्वविद्यालय, तत्पश्चात, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकोयों के नियमों, विनियमों, मानों आदि का पालन करेगा।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानो आदि के पालन के साथ आबद्ध रहेगी तथा ऐसे सभी निकायों को ऐसी सभी सुविधाएँ और सहयोग का उपबंध करेगी जो उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का उन्मोचन तथा उनके कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

वार्षिक रिपार्ट।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगा जिसमें अन्य मामलो में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन निर्मित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और परीक्षा ।

४४. (१) प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा समेत तुलनपत्र तैयार किए जाएँगे और इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से अद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझें ऐसे निर्देश जारी करेगी और उसका अनुपालन, सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेंगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरुप, संबंध में उसकी सिफारिशे विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय, सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रुप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) सरकार, यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, सरकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रुप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना को देकर विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच को ही होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजित निकाय में विहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजित निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

सन् २०१४ का महा. २१।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या स्पायसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविक्षा होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कु-प्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो, वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर, कारण बताओं नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया न जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर, विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्टता** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या स्पायसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा ५ की उप-धारा के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कु-प्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश दे सकेगी।

सन् २०१४ का महा. १४।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिये, किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज का निर्माण अपेक्षित करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेखा की अपेक्षा करना ; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) इस अधिनियम के अधीन जाँच करनेवाले जाँच अधिकारी या अधिकारियों, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों के जाँच रिपोर्ट की प्राप्ती पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्स का उल्लंघन किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निदेशों का उल्लंघन किया गया है या स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थितिसे विश्वविद्यालय अकादमिक मानकों का संतर्जकता उद्भूत हुई तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिये आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियाँ होंगी और शासी निकाय और प्रबंधमंडल बोर्ड के सभी कृत्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम की पूरी नही होती और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात् नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक इस प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देगी ।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी अस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

४८. (१) सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :—

(क) धारा ४७ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जाए मामले; और

(ख) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से कम न हो अवधि के लिए चाहे वह एक सत्र या बाद के दो सत्रों को मिलाकर हो, रखा जायेगा, और यदि सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या

सद्य अनुवर्ति सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधानमंडल ऐसे नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते है कि नियम नही बनाया जाए, ऐसा नियम ऐसे उपांतरण प्ररुप में केवल प्रभावी होगा या, यथास्थिति, प्रभावी नही होगा तथापि, किसी ऐसा उपांतरण या बातीलीकरण तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

४९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है तो, सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा ।

विनियामक बोर्ड ।

५०. विनियमक बोर्ड विनियामक यंत्रणा मुहैया करने के प्रयोजनों के लिये और छात्रों का हित संरक्षित करने के लिये अध्यापन का समुचित मानक, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखी गई है ऐसे कर्मचारियों की यथोचित सेवा शर्तें की सुनिश्चिति के प्रयोजन के लिए विहित किया जाए ऐसे रीत्या में राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जायेगा ।

सचिवालय समिति।

५१. प्रायोजक निकाय द्वारा उपबंधित उपक्रमों और शासकीय संकल्प क्रमांक यूएसजी. २००६/(२५४/ २००६)/यूएनआय-४, दिनांकित २९ मई २०१३ के अनुसार स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय के लिए मार्गदर्शन के अनुपालन की जाँच और कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के क्रम में सचिवालय समिति होगी । राज्य सरकार तब अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसके पश्चात् केवल विश्वविद्यालय का परिचालन होगा ।

समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2014.

THE MAHARASHTRA POLICE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९५१ का २२ ।

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाये।

सन् १९५१ का २२ में धारा ३३क की निविष्टि ।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३३क के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५१ का २२ ।

भोजनालय, परमिट रूम, या बीअर बार में नृत्य प्रदर्शन का प्रतिषेध और अन्य पारिणामिक उपबंध।

"३३ क. (१) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ३३ की उप-धारा (१) के अधीन, पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके संबंधित प्रभाराधीन क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र पुलिस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ के प्रारम्भण के दिनांक को और से,— सन् २०१४ का महा.।

(क) भोजनालय, परमिट रूम या बीअर बार में किसी भी किस्म या प्रकार के नृत्य प्रदर्शन करने पर प्रतिषेध है ;

(ख) उपर्युक्त नियमों के अधीन, पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या, यथास्थिति, किसी अन्य अधिकारी, लाईसेंस प्राधिकारी के रूप में किसी भोजनालय, परमिट रूम या बीअर बार में किसी किस्म या प्रकार के नृत्य प्रदर्शन करने के लिये जारी किये गये प्रदर्शन लाईसेन्स रद्द करेगा ।

(२) धारा १३१ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो उप-धारा (१) के उल्लंघन में भोजनालय, परमिट रूम या बीअर बार में किसी किस्म या प्रकार के नृत्य प्रदर्शन करता है या करवाता है या किये जाने के लिये अनुमति देता है तो, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो पाँच लाख रुपयों तक बढ़ायी जा सकेगी, से दण्डित किया जायेगा :

परंतु, न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किये गये विशेष या पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में, ऐसा कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रूपयों से कम नहीं होगा।

(३) यदि लाईसेंस प्राधिकारी के ध्यान में यह बात आती है कि, कोई व्यक्ति, जिसका प्रदर्शन लाईसेंस उप-धारा (१) के अधीन रद्द किया गया है, अपने भोजनालय, परमिट रूम या बीअर बार में किसी किस्म या प्रकार के नृत्य प्रदर्शन करता है या करवाता है या करने के लिए अनुमति देता है तो लाईसेंस प्राधिकारी धारा ३३ के अधीन विरचित नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भोजनालय का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और परमिट रूम या बीअर बार के लिए जारी किया गया सार्वजनिक मनोरंजन स्थल **(पी पी इ एल)** बनाने के लिए लाईसेंस निलंबित करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और लाईसेंस के ऐसे निलंबन के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, लाईसेंसधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और लाईसेंस निलंबित करेगा या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और लाईसेंस रद्द करेगा।

(४) उप-धारा (३) के अधीन, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और लाईसेंस रद्द करनेवाले लाईसेंस प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, राज्य सरकार को अपील करेगा उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(५) कोई व्यक्ति, जिसका उप-धारा (१) के अधीन प्रदर्शन लाईसेंस रद्द किया गया है, जिसे आनुपातिक लाईसेंस फीस के प्रतिदाय के लिये ऐसा लाईसेंस दिया गया है इस लाईसेंस प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। लाईसेंस प्राधिकारी सम्यक जाँच करने के बाद, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आनुपातिक आधार पर लाईसेंस फीस का प्रतिदाय करेगा।

(६) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। ” ।

(३) मूल अधिनियम की धारा ३३ ख अपमार्जित की जायेगी। सन् १९५१ का २२ की धारा ३३ ख का अपमार्जन।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2014.

THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES AMENDMENT ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES ACT, 2005.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारीयों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारीयों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :– सन २००६ का महा. २१।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारीयों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलायें।

सन् २००६ का महा. २१ की धारा १ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १ की, उप-धारा (३) के, परंतुक में "एकल संवर्ग में के पद" शब्दों के बाद, "महाराष्ट्र संवर्ग के भारतीय पुलिस अधिकारीयों समेत, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ३ के अधीन गठित पुलिस दल के कर्मचारी" शब्द और अंक निविष्ट किए जायेंगे। सन २००६ का महा. २१। सन् १९५१ का २२।

सन् २००६ का महा. २१ की धारा २ में संशोधन। **३.** मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (च) में, "न्यायपालिका" शब्द के बाद, "किंतु इसमें महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ३ के अधीन गठित पुलिस दल के कर्मचारी और महाराष्ट्र संवर्ग के भारतीय पुलिस अधिकारी और अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे ताकि, अध्याय दो के उपबंधों का लागू होना संबंधित है" शब्द और अंक रखे जायेंगे। सन १९५१ का २२।

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2014.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PESTS AND DISEASES (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PESTS AND DISEASES ACT

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि नाशकजीव तथा रोग (संशोधन) अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९४७ का ४३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि नाशकजीव तथा रोग अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि नाशकजीव तथा रोग (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलायें।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९४७ का ४३।

सन् १९४७ का ४३ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि नाशकजीव तथा रोग अधिनियम (जिस इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में,—

(१) खंड (४) के पश्चात् निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९५९ का ३।

"(४क) "पंचायत" का तात्पर्य, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन स्थापित की गई या स्थापित की गई समझी गयी पंचायत से है ;";

(२) खंड (१०) के पश्चात् निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(११) "अनुसूचित क्षेत्र" का तात्पर्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद २४४ के खण्ड (१) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र से है ;"।

सन् १९४७ का ४३ की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(१) "या आयुक्त" शब्दों के लिये, जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, "या कलक्टर" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु, यदि ऐसा स्थानीय क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, तो राज्य सरकार या, यथास्थिति, कलक्टर, इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व **पंचायत** से परामर्श करेगा ;"।

सन् १९४७ का ४३ की धारा ७क में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ७क की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु, यदि ऐसा अधिसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है तो, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यकतया प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अधिकारी या, यथास्थिति, कोई स्थानीय प्राधिकारी इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व, **पंचायत** से परामर्श करेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2014.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS (AMENDMENT AND CONTINUANCE) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ..... को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. २।

क्योंकि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०१४, ३० जनवरी २०१४ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि २४ फरवरी, २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) विधेयक, २०१४ (सन् २०१४ का विधान परिषद विधेयक क्रमांक १) २८ फरवरी २०१४ को महाराष्ट्र विधानपरिषद द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधानसभा को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि उसके पश्चात्, महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसित होने के कारण, उक्त विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश अर्थात् ६ अप्रैल २०१४ के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोंनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, ५ अप्रैल २०१४ को प्रख्यापित हुआ था। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ९।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ३० जनवरी २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९५९ का ३ की धारा ५४-१क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) के अध्याय तीन-क की, धारा ५४-क के पूर्व, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

ग्राम और **ग्राम सभा** से संबंधित विशेष उपबंध।

"५४-१क. इस अधिनियम की धाराएँ ४, ५ या किसी अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूचित क्षेत्रों में,—

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ग्राम साधारणतः समुदाय से मिलकर निवासस्थान या निवाससंस्थानों का समूह या खेड़ा या खेड़ों का समूह होगा और परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार उसके कामकाज का प्रबंध जैसा कि विहित रीत्या घोषित किया गया है ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन इस प्रकार घोषित प्रत्येक ग्राम की, **एक ग्राम सभा** होगी, ग्राम स्तर में पंचायत के निर्वाचक नामावली में जिनके नाम शामिल हैं ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी और पंचायत एक या एक से अधिक ऐसे ग्राम से मिलकर बनेगी।"।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ९ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ९।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, (जारी किसी अधिसूचना समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2014.

THE MAHARASHTRA HOMEOPATHIC PRACTITIONERS AND THE MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA HOMEOPATHIC PRACTITIONERS ACT AND THE MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL ACT, 1965.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायियों अधिनियम तथा महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९६० का महा. १२।
सन् १९६५ का महा. ४६।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायी अधिनियम तथा महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अत: एतद्द्वारा भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायी तथा महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाये ।

(२) यह ऐसे दिनांक का प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायी अधिनियम में संशोधन।

सन् १९६० का १२ की धारा २० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायी अधिनियम की धारा २० की उप-धारा (१२) के खण्ड (क) में, सन् १९६० का १२। "केवल" शब्द के स्थान में, निम्न भाग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होकर प्राप्त ज्ञान के उस परिमाण तक राज्य में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा (एलोपैथी) से"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४६ की धारा २ में संशोधन।

३. महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के,— सन् १९६५ का महा. ४६।

(क) खण्ड (घ) में,—

(एक) "या चिकित्सा की बायोकेमिक प्रणाली" शब्दों के स्थान में, "चिकित्सा की प्रणाली" शब्द रखे जाएँगे ;

(दो) निम्न परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, इस खण्ड की कोई बात, महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायी अधिनियम की धारा २ के खण्ड (१६) में यथा अवधारित पंजीकृत व्यवसायियों को अपवर्जित करने का तात्पर्य, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है से है ;";

(ख) खण्ड (ज) में, "इस अधिनियम के अधीन पोषित" शब्दों के पश्चात्, "और कोई अलग रजिस्टर समाविष्ट है जिसे अनुसूची की प्रविष्टि २८ द्वारा आवृत्त सम्मिलित करके परिषद द्वारा बनाए रखा जाएगा" शब्द और अंक जोड़े जाएँगे।

सन् १९६५ का महा. ४६ की धारा १० में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १० के खण्ड (ग) में, "व्यवसायियों का आचरण" शब्दों के पश्चात्, "अनुसूची २८ की प्रविष्टि द्वारा उन्हें सम्मिलित करके" शब्द और अंक जोड़े जाएँगे।

सन् १९६५ का महा. ४६ की अनुसूची में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की अनुसूची में, प्रविष्टि २७ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, जोड़ी जाएँगी, अर्थात् :—

"२८. महाराष्ट्र होम्योपॅथिक व्यवसायी अधिनियम की धारा २ के खण्ड (१६) में, यथा अवधारित पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है।"।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2014.

THE MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में अधिकार संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था;

सन् २००५ का महा. ९।
सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ७।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और इसलिए, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, २०१४, ३ मार्च २०१४ को प्रख्यापित हुआ था;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए भारत गणराज्य के पैसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

सन् संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाये ।

(२) यह ३ मार्च २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९।

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर २००२ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २३ की उप-धारा (१२) के पश्चात् निम्न उप-धारा जोडी जायेगी, अर्थात् :–

" (१३) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ब्यौहारी के मामले में, जो फ्लैटो, निवासों या भवनों या परिसरों का सनिर्माण कार्य करता है और किसी करार के अनुसार भूमि के साथ या भूमि के अध:स्थ हित में उनका अन्तरण करता है और जिसके मामले में किसी अवधि के लिये निर्धारण आदेशकरने की सीमा ३१ मार्च २०१४ को समाप्त होती है तब, ऐसी अवधि के लिये निर्धारण आदेश, ३० सितम्बर, २०१५ को या के पूर्व बनाया जा सकेगा । "।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ७ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, २०१४, एतद्द्वारा, निरसित, किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ७।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तस्थानी उपबंधों अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,

भाषा संचालन,

महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.